पुस्तकालय
(2)
3212
11/5/12

सत्यमेव जयते

असंशोधित

21 MAR 2012

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 1–कार्यवाही–प्रश्नोत्तर)

प्रतिवेदन शाखा
गै०स०प्र०सं०...602....तिथि....11/5/12

पंचदश विधान सभा **२१ मार्च, २०१२ ई०**

पंचम सत्र **बुधवार, तिथि ०१ चैत्र,१९३४ (शक)**

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय - ११.०० बजे पूर्वाह्न)

इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

अध्यक्षः-मा०सदस्यगण,अब सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे।

अल्पसूचित प्रश्न संख्याः-४६ (मा०सदस्य श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह)

श्री नंदकिशोर यादव, मंत्रीः- महोदय,खण्ड १:- उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पटना-आरा-बक्सर एन०एच०डी०पी० फेज-३ के अन्तर्गत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ४ लेन चौड़ीकरण के लिए चयनित है,जिसके अन्तर्गत वर्तमान में स्थित कोईलवर पुल के बगल में चार लेन पुल का निर्माण भी किया जाना है। एन०एच०ए०आई० के द्वारा बी०ओ०टी० (टॉल) पर निविदा आवंटित करने के उपरान्त एकरारनामा भी दिनांक ०२.०२.२०१२ को कन्सेसनियर के साथ किया जा चुका है। अगस्त, २०१२ से कार्य प्रारंभ किया जायेगा, कार्य समाप्ति की अवधि दो वर्ष ६ माह है।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंहः- अध्यक्ष महोदय,माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगस्त में कार्य प्रारंभ किया जायेगा। पिछले साल इन्होंने घोषणा किया था कि इसी साल कार्य प्रारंभ किया जायेगा। तो मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि अगस्त महीने के किस तारीख से काम शुरु किया जायेगा,कोई तिथि निर्धारित कीजिये।

श्री नंदकिशोर यादव,मंत्रीः- महोदय,जैसा मैंने कहा यह सड़क एन०एच०डी०पी० फेज-३ के तहत बक्सर से आरा होते हुए पटना चयनित है और इसको फोर लेन सड़क बनना है,पहले यह टू लेन था,हमलोगों ने दबाव बनाया तो फोर लेन स्वीकार किया गया है,उसी में कोईलवर में भी पुल प्रस्तावित है और इस पूरे स्टेज का टेंडर हो गया है,टेंडर एन०एच०ए०आई० को करना है,एग्रीमेंट एन०एच०ए०आई० को करना है,एन०एच०ए०आई० के देख-रेख में उस काम को पूरा होना है। जैसा मैंने बताया कि एग्रीमेंट हो गया है, ०२ फरवरी, २०१२ को एकरारनामा भी हो चुका है,अगस्त २०१२ से उनको ६ महीने का समय दिया जाता है, अगस्त २०१२ से पूरे स्टेज में काम प्रारंभ होने की संभावना है।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंहः- महोदय,मंत्री जी कह रहे हैं कि अगस्त में काम प्रारंभ होगा,तो अगस्त महीने में सोन नदी में और सारे नदियों में बाढ़ आ जाता है,तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि बाढ़ की स्थिति में आप काम कैसे शुरु करेंगे।

श्री नंदकिशोर यादव,मंत्रीः- महोदय,ये हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। हम इनको बार-बार कह रहे हैं कि यह जो पूरा स्टेज है बक्सर-आरा-पटना,इस सड़क का टेंडर हुआ है और इस सड़क का ही स्टैंडर्ड का पार्ट है कोईलवर पुल, तो उसमें अगस्त २०१२ में काम प्रारंभ होने की संभावना है केवल पुल ही अगस्त २०१२ में प्रारंभ होगा, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे स्टेज में जो स्टेज तय हुआ है बक्सर-आरा-पटना इसका एग्रीमेंट हुआ है,इसी में वह पुल भी शामिल है,तो उसके निर्माण का काम अगस्त, २०१२ में प्रारंभ होगा।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- ४७ (मा०सदस्य श्री विनोद प्रसाद यादव)

श्री नीतीश मिश्रा, मंत्रीः- महोदय, समय चाहिए।

अध्यक्षः- समय चाहिए, ठीक है।

अल्पसूचित प्रश्न संख्याः-४८ (मा०सदस्य श्री भाई वीरेन्द्र)

श्री भीम सिंह, मंत्रीः- महोदय,खण्ड १:- उत्तर स्वीकारात्मक है।

खण्ड २:- उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि संकल्प संख्या- ६१५९ दिनांक ४.१२.२००८ द्वारा किये गये प्रावधानों के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओ एवं ग्राम कचहरी के पद धारकों एवं प्रतिनिधियों को नियत प्रतिमाह भत्ता, दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता एवं विशेष मानदेय का भुगतान हेतु वर्ष २०१०-११ में जिलापरिषदों को २६ लाख,३४ हजार, ६४४ रुपये,पंचायत समितियों को एक करोड़,९० लाख, ३६ हजार,८०० रुपये, ग्राम पंचायतों को १० करोड़, ९२ लाख,८६ हजार,४९६ रुपये एवं ग्राम कचहरियों को ९ करोड़,तीन लाख,१८ हजार,९५९ रुपये आवंटित किये गये हैं।

खण्ड ३:- उत्तर स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि ७३वें संविधान संशोधन के आलोक में अधिसूचित बिहार पंचायती राज अधिनियम २००६ के प्रावधान के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएँ स्वशासी निकाय है। राज्य सरकार द्वारा नवगठित त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के निमित राजकोष से नियत प्रतिमाह भत्ता,दैनिक भत्ता,यात्रा भत्ता एवं विशेष मानदेय के भुगतान का प्रावधान किया गया है। जहाँ तक त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के वेतन,भत्ता, पेंशन आदि के भुगतान का प्रश्न है, वे सरकारी कर्मचारी नहीं है,इसलिए ऐसा किये जाने का न तो औचित्य है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

खण्ड ४:- खण्ड ३ के उत्तर में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

श्री भाई वीरेन्द्रः- माननीय अध्यक्ष महोदय,आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिसतरह से माननीय विधायक और माननीय सांसद को वेतन, भत्ता मिलता है और पंचायत में मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिलापरिषद् भी जनता के निर्वाचित सदस्य हैं,तो क्या सरकार उनको वेतन,भत्ता देने के विषय में विचार रखती है ?

अध्यक्षः- माननीय मंत्री, ने तो पहले ही अस्वीकार कर दिया है।

श्री दुर्गा प्रसाद सिंहः- महोदय, नियमित भुगतान नहीं हो रहा है।

अध्यक्षः- यह विषय अलग है लेकिन जो वे कह रहे हैं उसका तो जवाब माननीय मंत्री जी ने दे दिया है कि इसतरह का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

श्री भाई वीरेन्द्रः- महोदय,सरकार विचार रखती है कि नहीं,यह मैं पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से।

श्री भीम सिंह, मंत्रीः- महोदय,सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि ऐसा करने का न तो कोई औचित्य है और न ही कोई प्रस्ताव है। चूंकि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएँ स्वशासी इकाईयाँ हैं और उन इकाईयों का वेतन हमलोग देते भी नहीं है और न ऐसा कोई भविष्य में करने का विचार है। जहॉ तक मानदेय,भत्ते की बात है, तो मैं बताना चाहूंगा सदन को कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो कानून बनाया था और उस समय जो लागू था, उसमें तो भत्ते,मानदेय भी नहीं थे, यह हमारी सरकार ने ही २००८ से यह लागू किया है और इसका अब नियमित भुगतान किया जायेगा, पिछले दिनों कुछ कठिनाई हुई थी बजटीय उपबंध नहीं रहने के कारण,इस वर्ष से नियमित भुगतान करने का प्रावधान भी कर दिया गया है और राशि निर्गत भी कर दी गयी है।

श्री दुर्गा प्रसाद सिंहः- पिछला बकाया जो रह गया है,वह भी दिया जायेगा।

श्री भीम सिंह, मंत्रीः- जी महोदय, बिल्कुल दिया जायेगा। जो १.४.२०१२ से चुनाव तक थे,उनको देने का हमलोगों ने निर्गत कर दिया है और उसके पीछे के बकाये भुगतान का जब तक उनका यूटिलाईजेशन सर्टिफिकेट वगैरह प्राप्त किया जा रहा है,उसके आने के बाद,उन सारे लोगों को भुगतान किया जायेगा।

श्री विनोद नारायण झाः- अध्यक्ष महोदय,मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले साल का कितना बकाया है स्वशासी निकाय के जितने निर्वाचित प्रतिनिधि है उनका और कितना दिया गया है,हर जगह हमलोग जाते हैं गॉव-गॉव,तो लोग कहते हैं कि सरकार ने जो घोषणा की है,किसी को दो महीने का मिला, किसी को ६ महीने का मिला और बाकी है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि कितने बॅट गये हैं और कितना स्वशासी निकाय का बाकी है और कब तक इसका भुगतान हो जायेगा।

श्री भीम सिंह, मंत्रीः- महोदय, इसके लिए तो मुझे प्रोपर नोटिस की आवश्यकता होगी,चूंकि यहाँ नियमित वेतन देने का प्रश्न था,इसके लिए सरकार ने तैयारी करके उत्तर दिया,इसका नोटिस अगर आयेगी तो उसका भी उत्तर दिया जायेगा लेकिन मैंने कह दिया,सदन की भावना मूल रुप से यह है कि उनको भुगतान हो,भत्तों का भुगतान हो, सरकार ने समुचित प्रबंध कर दिया है,अब नियमित भुगतान होगा।

अध्यक्षः- ठीक है।

अल्पसूचित प्रश्न संख्याः-४९ (मा० सदस्य डा० अच्युतानंद)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः- महोदय,खण्ड १:- उत्तर स्वीकारात्मक है।

खण्ड २:- वस्तुस्थिति यह है कि प्रासंगिक कृषक समितियों द्वारा पटवन की राशि किसानों से प्राप्त कर आंशिक रुप से सरकारी खाते में जमा किया जाता है,परन्तु सरकार द्वारा निर्धारित समुचित मांग का राज्यांश पूर्ण रुप से जमा नहीं किया गया है। इस कारण समिति के पास काफी मांग लंबित है,जिसकी वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है।

खण्ड ३:- वस्तुस्थिति यह है कि प्रासंगिक कृषक समितियों द्वारा कई वर्षों से इन नहरों के रख-रखाव मात्र छोटे-मोटे रुप में कराया गया है, फिर भी अधिकांश हस्तांतरित नहर प्रणालियों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

खण्ड ४:- कृषक समितियों द्वारा किसानों से वसूल की गयी राशि का ७० प्रतिशत नहर के रख-रखाव एवं समिति के कार्यालय व्यय आदि पर खर्च किया जाता है तथा ३० प्रतिशत राज्यांश के रुप में सरकारी कोष में जमा किया जाता है। उनके विगत वर्षों में कार्यकलाप जैसे पटवन कर वसूली, नहर संचालन एवं रख-रखाव आदि बिन्दुओं पर समीक्षोपरान्त असंतोषजनक पाये जाने के कारण अब तक कुल २४ नहरों का प्रबंधन उनसे वापस लिया जा चुका है,शेष नहर प्रणाली जिसके हस्तांतरण की अवधि पॉच वर्ष पूर्ण हो चुकी है, के कार्यकलाप की समीक्षा की जा रही है, तदनुसार कार्रवाई की जायगी।